CGHC010415642026 2026:CGHC:44990

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–9986/2026

- भागवत दास महंत पिता–स्वर्गीय दिलहरण दास महंत, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी–मुड़ापार बाजार, सुलभ के पीछे, चौकी–मानिकपुर, कोरबा, तहसील व जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़

–––––आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–उरगा, जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़

–––––उत्तरवादी

आवेदक/अभियुक्त द्वारा	:	श्री समीर सिंह, अधिवक्ता ।
राज्य/उत्तरवादी द्वारा	:	श्री रोहितास्व सिंह, उप शासकीय अधिवक्ता सहित सुश्री दीपा सिंह, पैनल अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! आदेश पीठ पर पारित !!

26/10/2026

1. धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन में पुलिस थाना–उरगा, कोरबा, छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक 544/2025,

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2026.10.26 13:36:41 +0530

अंतर्गत धारा 103(1), 61(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 07 छत्तीसगढ़ टोनही निवारण प्रताड़ना अधिनियम, 2005 में जमानत दिए जाने का निवेदन किया गया है जिसका जमानत आवेदन दिनांक 24/09/2026 को विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस आशय का है कि घटना दिनांक 10/12/2025 को आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुरेश साहू, अशरफ मेमन एवं नितीश कुमार रात्रे (मृतकगण) की हत्या की । उक्त व्यक्तियों को तांत्रिक अनुष्ठान एवं तंत्र–मंत्र करने के पश्चात् 5,00,000/– रुपये की राशि को 50 गुना बढ़ाने का प्रलोभन देकर बुलाया गया तथा नायलॉन की रस्सी से उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई । उक्त के आधार पर पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. आवेदक/अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । घटना अशरफ मेमन के फार्म हाउस (कृषि भवन) की बताई गई है । आवेदक/अभियुक्त अंदर गया भी नहीं था, वह बाहर ही था तथा अंदर क्या हुआ, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है । वह दिनांक 12/12/2025 से अभिरक्षा में है । अभियोजन के 43 साक्षियों में से मात्र 09 साक्षियों का ही परीक्षण हुआ है । विचारण में समय लगना संभावित है । अतः प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में तथा अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए ।

4. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण 03 व्यक्तियों की हत्या से संबंधित है । आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना पत्र

दर्ज की गई है । आवेदक/अभियुक्त की आपराधिक षड्यंत्र के तहत तीन व्यक्तियों की हत्या के प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है । षड्यंत्र के अनुसार मुख्य अभियुक्त आशीष दास तांत्रिक रहा है तथा उन्होंने 5,00,000/– रुपये को बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये तंत्र विद्या के माध्यम से करने का आश्वासन देकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की है । आवेदक/अभियुक्त से ही इनोवा कार एवं 5,00,000/– रुपये जब्त हुए हैं । इस प्रकार, उसकी हत्या में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामला जमानत योग्य नहीं है । अतः उसकी जमानत निरस्त की जाए ।

5. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया तथा अभिलेख एवं केस डायरी का परिशीलन किया गया ।

6. संपूर्ण परिशीलन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि सह–अभियुक्त आशीष दास का जमानत आवेदन (विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 5512/2026 में) दिनांक 23/06/2026 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है । मामला तीन व्यक्तियों की हत्या का है और विचारण जारी है । आवेदक/अभियुक्त भागवत दास महंत के विरुद्ध संकलित साक्ष्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसका मामला जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है । फलतः, आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है ।

7. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रतिलिपि यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जाए ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन